91(AJ)-2024/205

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

रूकमा देवी बनाम छिगनी देवी वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

मा नम्बर :– 77/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
05.09.2024	प्रार्थीया की ओर से प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधिनियम– 1955 के तहत पेश हुआ। प्रार्थीया की ओर से हाजिर अधिवक्ता ने अंतरिम बहस हेतु निवेदन किया। हाजिर अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार कर अंतरिम बहस (प्रार्थना पत्र) के आदेश दिये गये। इस पर हाजिर अधिवक्ता द्वारा अंतरिम बहस की गई। प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा की गई अतंरिम बहस को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थीया वकील ने अपनी अंतरिम बहस प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित करानी चाही है। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा राज0काश्त0 अधिनियम– 1955 का अवलोंकन किया गया, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, प्रार्थीया का शपथ पत्र का अवलोकन किया, चिंतन व मनन किया गया। वकील प्रार्थीया के निवेदन को एक तरफा अंतरिम रुप से स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रार्थीया के पक्ष में होने एंव अपूर्तनीय क्षति कारित होने की संभावना को देखते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पक्ष प्रार्थीया विरूद्व अप्रार्थीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि **उभयपक्षकारान** को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमी खसरा नम्बर **1011** कुल किता 1 का कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम सिंगोर्दखुर्द, पटवार हल्का सिंगोर्दखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। **उक्त अन्तरिम टी0आई0 आदेश सीमाज्ञान/पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एंव नवीन रास्ता चाहने सम्बन्धी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नहीं होगी।** चूंकी एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थीया को अनिवार्यतः बहस करनी होगी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावेगा। प्रार्थीया वकील को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व रजि0 एडी0 के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीया से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश कि तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। पालना नहीं करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः प्रभावहीन हो जावेगा। उक्त आदेश से यदि आप्रार्थीगण को कोई ऐतराज हो तो दिनांक 04.10.2024 को 10.00 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस मय आदेश जारी कर पत्रवाली वास्ते देखने तामील दिनांक 04.10.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर चौमूं चौमूं (जयपुर [illegible])	

04/10/24 व. प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण की तरफ से रसीदें पेश की। केस मूल वाद के साथ पत्रावली बाद तलबी दिनांक 25/10/24 को पेश हो। A

25/10/24 व. प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण की Rg. AD. रसीद को 1 माह से अधिक का समय हो चुका है अतः इनकी तामिल मानी जाकर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है पत्रावली वास्ते बहस T.I. हेतु दिनांक 09/12/24 को पेश हो। A

09/12/24 व. प्रार्थी उप०। बहस T.I. सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अन्तरिम बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया हुआ है उक्त आदेश ता-फैसला कायम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ताकि पक्षकारान के मध्य वाद बहुलता ना बढ़े। अतः अब उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 05/09/2024 को ता फैसला मूल वाद कायम किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। A

सहायक कलेक्टर
चौमू (जयपुर)